कोलकाता। क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल की प्राचार्य को बैरकपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आज जमानत पर रिहा कर दिया।
उन्हें पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत की घटना के सिलसिले में गुरूवार को गिरफ्तार किया गया था।
बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी के डीसीपी डी देवाशीष बेज ने आज यहां बताया, ''प्राचार्य को बैरकपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5000 रूपये के निजी मुचलके और इस शर्त पर जमानत दी है कि वह 30 सितंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होंगी।''
स्कूल के प्राचार्य को 12 सितंबर को कर्तव्य में लापरवाही (आईपीसी की धारा 304 ए) के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 11 वर्षीय छात्रा ओइन्द्रिला दास की मौत की घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके सीनियर ने रैगिंग करते हुए कथित तौर पर उसे स्कूल के शौचालय के भीतर बंद कर दिया था।
घटना के बाद उग्र अभिभावकों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। उन्होंने 12 सितंबर को संस्थान में तोड़फोड़ की थी। इससे बाध्य होकर प्राचार्य को इस्तीफा देना पड़ा था।
उन्हें 13 सितंबर को बैरकपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
स्कूल में तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। यह मामला स्कूल के एक शिक्षक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इस सिलसिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
(भाषा)